राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1122/2013/चुरू

मैसर्स जे.एम.के. इस्पात प्रा0लि0,
कानपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, वृत्त–चूरू। ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री सुरेन्द्र कुमार निदेशक,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.एस.राठौड़,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/02/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित अपील संख्या 286/आरवैट/एनआरडी/2011–12 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 01.02.2013 के विरूद्ध धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी का वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत्त चुरू (जिसे आगे **''कर निर्धारण अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 08.02.2012 को अपीलार्थी का कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए वसूली योग्य मांग राशि 3,05,052/–/– आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन संख्या पीबी–11X–9875 को दिनांक 02.02.2012 को चूरू में जयपुर रोड पर चैक किया गया। वक्त चैकिंग वाहन में एम.एस. चैनल (आयरन गुड्स) भरा हुआ पाया गया। वक्त चैकिंग वाहन चालक द्वारा माल सरवासा जिला सहारनपुर उ.प्र. से पुणे के लिये परिवहनित किया जाना बताया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के संबंध में दस्तावेजात मागे जाने पर वाहन चालक द्वारा निम्नांकित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये :–

1. सहारनपुर–मुरादाबाद ट्रांसपोर्ट कम्पनी सहारनपुर (देहली रोड) की बिल्टी संख्या 1307 दिनांक 01.02.2012 सरवासा से पुणे माल विवरण एम.एस. चैनल वजन 324.90 क्विंटल, किराया 40600/– रूपये।

2. मैसर्स जे.एम.के. इस्पात प्रा0लि0, मैन रोड सरवासा जिला सहारनपुर टिन नं. 09442901276 का बिल नं. 007 दिनांक 01.02.2012 प्रेषिति विजय स्टील, पुणे टिन नं. 2782780655572 माल का विवरण एम.एस. चैनल 32.490 एम.टी. मूल्य रूपये 871577/–

लगातार.....2

दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पाया गया कि सहारनपुर से पुणे जाने के लिये सीधा मार्ग दिल्ली होकर जाता है जबकि हिंसार–राजगढ़–चुरू लम्बा मार्ग पड़ता है। इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन चालक से माल की तुलाई कांटा पर्ची मांगने पर वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। माल संबंधित दस्तावेजों के संबंध में संदेह होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स जे.एम.के. इस्पात प्रा0लि0, मैन रोड सरवासा जिला सहारनपुर की जांच "टैक्स इन्फोरमेशन एक्सचेंज सिस्टम" से करने पर फर्म प्रथम दृष्टया अस्तित्वहीन पाई गई। इस प्रकार परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज मिथ्या पाये जाने पर जांच एवं सत्यापन हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन मय माल डिटेन किया गया। माल का परिवहन कूटरचित दस्तावेजों से राज्य में परिवहन किया जाना पाया गया। इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी स्पष्टीकरण के प्रतिउत्तर में पेश जवाब से असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल का परिवहन मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान राज्य में किया जाना मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत कर रूपये 43579/– एवं शास्ति रूपये 2,61,473/– कुल रूपये 3,05,052/– आरोपित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को सभी बिन्दुओं पर उचित मानते हुये अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि माल राजस्थान राज्य के बाहर से राज्य के बाहर जा रहा था। सभी दस्तावेज मौजूद थे। उनकी फर्म पंजीकृत फर्म है जिसका सहारनपुर में कार्यालय (ब्रान्च) है। उनके द्वारा आगे के वर्षो में प्रस्तुत रिटर्नस की फोटो प्रतियां भी पेश की तथा कर निर्धारण आदेश की फोटो प्रति भी पेश की। अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि माल पंजीकृत फर्म द्वारा पंजीकृत फर्म को बेचा जा रहा था। इसमें राजस्थान राज्य की कोई चोरी निहित नहीं है। अतः उनकी अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया जावें।

5. विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री नरेन्द्र सिंह राठौड ने बताया कि वाहन को जयपुर रोड चुरू में चैक किया गया है जो कि बिल, बिल्टी में घोषित उद्गम स्थान सहारनपुर से पुणे का कोई रास्ता नहीं है। वास्तव में वह फर्जी दस्तावेजों से माल चूरू में खाली करने की नियत से परिवहनित किया जा रहा था तथा चूरू जाने के कोई दस्तावेज वाहन चालक के पास नहीं थे। यही नहीं मैसर्स जे. एम.के. इस्पात प्रा0लि0, कानपुर यूपी में सीएसटी में पंजीकृत ही नहीं थी जैसा कि Tax Information Exchange System से प्रमाणित है तथा केवल यूपी प्रान्त में ही पंजीकृत थी। जिसके TIN No. 09442901276 है अतः वह सीएसटी में माल विक्रय करने के लिए अधिकृत नहीं थी। साथ ही वह कानपूर के पते पर यूपी में पंजीकृत है।

लगातार.....3

सहारनपुर का पता फर्जी है। इस प्रकार फर्जी दस्तावेजों में माल का राज्य से कर चोरी की नियत से परिवहन किया जा रहा था। पुणे जाने का कोई दस्तावेजी प्रमाण बाद सूचना पत्र जारी करने पर भी पेश नहीं किया गया है। ऐसे में आरोपित कर से शास्ति पूर्णतया उचित होना बताया गया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वाहन जयपुर रोड चूरू पर चैक किया गया है जो कि सहारनपुर दिल्ली जयपुर पूना का आम रास्ता नहीं है। कोई भी वाहन गलत रास्ते से क्यों जायेगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही माल भेजने वाली फर्म जब सीएसटी में पंजीकृत नहीं है तो वह सीएसटी में बिक्री करने की हकदार नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा जो भी दस्तावेज पेश किये गये है वे वाहन के रूट व गमनागमन के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं हो सकते है। वास्तव में माल राजस्थान राज्य में चूरू में खाली करने के लिए परिवहनित किया जाना प्रमाणित होता है। तथा जिसके कोई दस्तावेज नहीं पाये गये है। अतः कर निर्धारण व अपीलीय अधिकारी का यह निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि माल का परिवहन बोगस दस्तावेजों से किया जा रहा था, जो धारा 76(2) Of RVAT Act का उल्लंघन है। अतः माल कीमत रूपये 8,71,577/– पर धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 2,61,473/– व कर रूपये 43,579/– उचित रूप से आरोपित किये गये है। अतः कुल मांग रूपये 3,05,052/– को कायम रखा जाता है। तथा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित निर्णय विधि अनुसार होने से यथावत रखे जाते है।

7. फलतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

19-2-14

(अमर सिंह)
सदस्य